HINDI

कार्यसंहिता2016

इसमें 2019 के संशोधन शामिल हैं

NZQA

NEW ZEALAND QUALIFICATIONS AUTHORITY
MANA TOHU MĀTAURANGA O AOTEAROA

QUALIFY FOR THE FUTURE WORLD
KIA NOHO TAKATŪ KI TŌ ĀMUA AO!

शिक्षा (अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पेस्टोरल देखभाल) कार्यसंहिता2016

शिक्षा (अंतर्राष्ट्रीय छात्रोंकीपेस्टोरल देखभाल) कार्यसंहिता2016

Pursuant to section 238F of the Education Act 1989, the Minister for Tertiary Education, Skills and Employment makes the following code of practice.

This version incorporates the Education (Pastoral Care of International Students) Code of Practice Amendments 2019 (LI 2019/64) which came into effect on 1 July 2019.

सामग्री

भाग ।
परिचय

1. शीर्षक 3
2. प्रारंभ 3
3. अवस्थापरिवर्तनकालिक, बचत और संबंधित प्रावधान 3
4. संहिता विधायी साधन है 3
5. संहिता का उद्देश्य 3
6. संहिताकादायरा 3

भाग 2
इस संहिता को कैसे पढ़ें

7. सामान्य परिभाषाएं 4

भाग 3
हस्ताक्षरी बनना

8. हस्ताक्षरी बनने के लिए आवेदनों को प्राप्त और एक्सेस करने के लिए संहिताव्यवस्थापक काफ़ंक्शन 6
9. हस्ताक्षरी बनने कामानदंड 6
10. संहिताव्यवस्थापक हस्ताक्षरी के अनुरोध पर हस्ताक्षरी को निकाल सकता है 6

भाग 4
हस्ताक्षरियों को क्या अवश्य करना चाहिए

विपणन और प्रचार

11. परिणाम 1: विपणन और प्रचार 7
12. प्रक्रिया 7

एजेंट

13. परिणाम 2: एजेंट प्रबंधित और मॉनिटर करना 7
14. प्रक्रिया 7

ऑफर, नामांकन, अनुबंध और बीमा

15. परिणाम 3: ऑफर, नामांकन, अनुबंध और बीमा 8
16. प्रक्रिया: शैक्षिक निर्देश पर ऑफर 8

16A. प्रक्रिया: अनुबंध में शामिल होने से पहले जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए 8

16B. प्रक्रिया: नामांकन का अनुबंध 9

16C. प्रक्रिया: अनुशासनात्मक कार्यवाही 9

16D. प्रक्रिया: बीमा 9

16E. प्रक्रिया : निर्णय जिसके लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति चाहिए 9

आप्रवासन मामले
17. परिणाम 4: आप्रवासन मामले 9
18. प्रक्रिया 10

उन्मुखीकरण
19. परिणाम 5: उन्मुखीकरण 10
20. प्रक्रिया 10

सुरक्षा और कल्याण
21. परिणाम 6: सुरक्षा और कल्याण 10
22. प्रक्रिया: सामान्य 10
23. प्रक्रिया: 18 से कम वर्षवाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र 11
24. प्रक्रिया: 10 से कम वर्षवाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र 11
25. प्रक्रिया: जोखिम में याविशेषआवश्यकताओ वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र 11
26. प्रक्रिया: निवास 12
26A. प्रक्रिया:सुरक्षा जाँच और उपयुक्त जाँच 13

छात्रसहायता, सलाहऔर सेवा
27. परिणाम 7: छात्रसहायता, सलाहऔर सेवा 13
28. प्रक्रिया 13

निकासीऔर बंद प्रबंधित करना
29. परिणाम 8: निकासीऔर बंद प्रबंधित करना 14
30. प्रक्रिया 14

विपत्ति के लिए कार्यवाहिया
31. परिणाम 9: विपत्तियोंसे निपटना 14
32. प्रक्रिया 14

अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुबंध के अनुपालन संबंधी विवाद समाधान योजना
33. परिणाम 10: अंतर्राष्ट्रीय छात्रअनुबंध के अनुपालन संबंधीविवाद समाधान योजना 14
34. प्रक्रिया 14

भाग 5
संहिताके उल्लंघन

35. संहिताउल्लंघन कीरिपोर्टकरना 15
36. संहिताव्यवस्थापक का शिकायत यारेफ़रल के लिए जवाब 15
37. संहिताअनुपालन कोमॉनिटर करना 15
38. संहिता उल्लंघन के लिए प्रतिबंध 16

भाग 6
संहिता व्यवस्थापक

39. बाध्यताओ की रिपोर्ट करना और उन्हें प्रकाशित करना 17
40. शर्तों और अनुपालन सूचनाओं का प्रकटन 17

अनुसूची 1
अवस्थापरिवर्तनकालिक, बचत और संबंधित प्रावधान 18

भाग I
परिचय

1. शीर्षक

यह संहिता शिक्षा (अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पेस्टोरल देखभाल) कार्य संहिता 2016 है.

2. प्रारंभ

यह संहिता 1 जुलाई 2016 को लागू हो जाएगी.

3. अवस्थापरिवर्तनकालिक, बचत और संबंधित प्रावधान

सूचीपत्र 1 में वर्णित अवस्थापरिवर्तनकालिक, बचत और संबंधित प्रावधान उनकी अवधि के अनुसार लागू रहेंगे।

4. संहिता विधायी साधन है

यहसंहिताविधायी साधनहै और विधायी अधिनियम 2012 के उद्देश्य के लिए अस्वीकार्य साधनहै और इसे उस अधिनियम के खंड 41 के तहत हाउस ऑफ़रिप्रेसेंटेटिवको प्रस्तुत कियाजानाचाहिए.

5. संहिता का उद्देश्य

इस संहिता का उद्देश्य निम्नलिखित करके अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के लिए सरकार के उद्देश्यों का समर्थन करना है—

a. अंतर्राष्ट्रीय छात्रोंकी सुरक्षा के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए हस्ताक्षरियों को आवश्यक बनाना; और

b. यह सुनिश्चित करना, जहां तक संभव हो, कि न्यूज़ीलैंड में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों का अनुभव सकारात्मक रहे जो उनके शैक्षिक उपलब्धि में सहायता करे.

6. संहिताकादायरा

1. इस संहिताकादायराशिक्षा अधिनियम 1989 द्वारानिर्धारित अन्य गुणवत्ताआश्वासनके साथ-साथनिम्नलिखित निर्धारित करनाहै,—

    a. हस्ताक्षरियों से उनके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए परिणाम प्राप्त करना; और

    b. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कल्याण, उपलब्धि और अधिकारों का समर्थन करने के लिए हस्ताक्षरियों से मुख्य प्रक्रियाएं आवश्यक करना.

2. संहिता उन छात्रों से संबंधित हस्ताक्षरी की गतिविधियों पर लागू नही होती है जो न्यूज़ीलैंड से बाहर की जाती हैं.

3. संहिताव्यवस्थापक संपूर्ण संहिता या उसके कु छ भाग के आवेदन से निम्नलिखित छात्रों को छूटदे सकताहै:

    a. अपनी स्थिति को घरेलू छात्र से अंतर्राष्ट्रीय छात्र में बदलने वाला छात्र:

    b. वह छात्र जिसने दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम में नामांकन किया हुआ है.

भाग 2
इस संहिता को कै से पढ़ें

7. सामान्य परिभाषाएं

1. इस संहितामें, जब तक किसंदर्भमें अन्यथाआवश्यक नहो, तब तक,—

अधिनियम का अर्थ है शिक्षा अधिनियम 1989

एजेंट का अर्थ है वह व्यक्ति, संस्था या संगठन जो किसी प्रदाता या हस्ताक्षरी की ओर से काम कर रहा हो और उसने उप अनुबंधित एजेंट शामिल है

संहिता व्यवस्थापक का अर्थ है वह व्यक्ति याएजेंसी जिसे अधिनियम के खंड 238FA(1) के तहत नियुक्त किया गया है

नामांकन का अनुबंध,

a. का अर्थ हस्ताक्षरी (जो कि एक स्टेट स्कूल है) के संबंध में वही है जो अधिनियम की धारा 2 (1) में था; या

b. अन्य हस्ताक्षरियों के संबंध में इसका अर्थ है एक लिखित अनुबंध जो एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र (या छात्र के माता-पिता अथवा कानूनी अभिभावक यदि छात्र की आयु 18 वर्ष से कम हो) और हस्ताक्षरी के बीच हुआ है जिसके तहत छात्र हस्ताक्षरी द्वारा दिए गए शैक्षिक निर्देश प्राप्त करने का पात्र बनता है।

नामित देखभालकर्ता का अर्थ है वह रिश्तेदार या परिवार का करीबी मित्र जिसे 18 से कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय छात्रके माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा लिखित में उस छात्र का देखभालकर्ता और निवास स्थान प्रदाता बनाया गया है

घरेलू छात्र का अर्थ वही है जो अधिनियम के खंड 2 में था

DRS का अर्थ है अधिनियम के खंड 238J द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुबंध विवाद समाधान योजना

DRS नियम का अर्थ है अधिनियम के खंड 238M के तहत निर्धारित नियम

यथोचित परिश्रम का अर्थ है बाध्य वचनबद्धता में प्रवेश करने से पहल किसी अन्य पक्षके संबंध में प्रकट और सत्यापन प्राप्त करने की प्रक्रिया

शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी का अर्थ है वह एजेंसी जिसे हस्ताक्षरियों के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन फ़ंक्शन करने के लिए अधिनियम द्वारा प्राधिकृत किया गया है

शैक्षिक निर्देश में वे कक्षाएं, पाठ्यक्रम, प्रोग्राम याप्रशिक्षण योजनाएं—

a. जो खंड 4E, अधिनियम के भाग 18 याभाग 20 के अनुसार स्वीकृ त या छूट प्राप्त हैं; और

b. जिन्हें हस्ताक्षरी द्वारा प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त है (जहां अधिनियम के भाग 18 या 20 के तहत आवश्यक है); और

c. जिन्हें प्रासंगिक मूल्यांकन मानकों के प्रति एक्सेस करने के लिए हस्ताक्षरी को सहमतिप्राप्त है (अधिनियम के भाग 18 या20 के तहत आवश्यक)

नामांकन करें का अर्थ है किसी व्यक्ति को हस्ताक्षरी द्वारा प्रदान किए जाने वाले शैक्षिक निर्देश के लिए एक छात्रके रूप में पंजीकृत या दाखिल करना, ऐसा उस छात्र द्वारा हस्ताक्षरी से शैक्षिक निर्देश के ऑफ़र को स्वीकार करने के बाद होता है और नामांकन काअर्थ इससे संगत होता है

निर्वासन का अर्थ है किसी व्यक्ति को 1 देश या स्थान से दूसरे में ले जाने की प्रक्रिया

फीस सुरक्षा तंत्र का अर्थ है वह तंत्र जिसे अधिनियम के खंड 253(1)(e) के तहत बनें नियमों में स्वीकार कियागयाहै

होमस्टे का अर्थ किसी परिवार का निवास स्थान या ऐसा घर जिसमें अंतर्राष्ट्रीय छात्रको रहने की सुविधा दी गई है, ऐसे घर में 4 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नही रह सकत

अंतर्राष्ट्रीय छात्र का अर्थ वही है जो अधिनियम के खंड 238D में था

कानूनी अभिभावक, किसी अंतर्राष्ट्रीय छात्रके संबंधमें, इसकाअर्थहै वहव्यक्ति जो, न्यायालय द्वारायावसीयत नामे में नियुक्ति द्वाराउस छात्रके कल्याण और वित्तीय समर्थनके लिए ज़िम्मेदार है और छात्रके गृहदेशमें छात्रकी देखभाल करताहै

लाइसेंसीकृत होस्टल का अर्थ है वह होस्टल जो शिक्षा (होस्टल) विनियम 2005 के तहत लाइसेंसीकृ त है

माता-पिता, किसी अंतर्राष्ट्रीय छात्र के संबंध में, इसका अर्थ है उस छात्र के पिता या माता जो छात्र की देखभाल के लिए और वित्तीय सहायता के लिए ज़िम्मेदार है

प्रदाता का अर्थ वही है जो अधिनियम के खंड 238D में था

देश-प्रत्यावर्तन का अर्थ है किसी व्यक्ति को उनके मूल देश या नागरिकता में वापस भेजने की प्रक्रिया

आवासीय देखभालकर्ता का अर्थ है—

a. कोई होमस्टे देखभालकर्ता; या

b. एक लाइसेंसीकृत होस्टल प्रबंधक या अन्य व्यक्ति जो किसी लाइसेंसीकृत होस्टल में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की देखभाल करने के लिए ज़िम्मेदार है; या

c. कोई नामित देखभालकर्ता; या

d. निवास के प्रबंधक जो

  i. कि एक ऐसे हस्ताक्षरी द्वारा संचालित है जो तृतीयक शिक्षा प्रदाता है (जैसा कि अधिनियम के भाग 159 में परिभाषित है) ; और

  ii. यह मुख्य रूप से उन छात्रों के निवास के लिए प्रयोग किया जाता है जो उस प्रदाता के साथ नामांकित हैं; या

e. अस्थायी निवास होने की स्थिति में, पर्यवेक्षक जो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार हैं

स्कूल होस्टल का अर्थ है वह लाइसेंसीकृत होस्टल जो स्कूल के स्वामित्व में है या उसके द्वारा व्यवस्थापित किया जाता है और उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए संहिता व्यवस्थापक द्वारा स्वीकृत है जिन्होंने स्कूल में 1 वर्ष से 6 वर्ष के लिए नामांकन किया हुआ है या10 वर्ष अथवा उससे कम के हैं और किसी अन्य प्रदाता के साथ नामांकित हैं

हस्ताक्षरी का अर्थ है वहप्र दाता जो इस संहिता का हस्ताक्षरी है

उप-अनुबंधित एजेंट का अर्थ है वह व्यक्ति, संस्था या संगठन जिसके साथ एजेंट ने एजेंट की ओर से कार्य करने के लिए अनुबंधकिया है.

2. इस संहितामें, किसी व्यक्ति की उम्र का संदर्भ उस व्यक्ति के पिछले जन्मदिन पर उनकी उम्र का संदर्भ होता है.

3. एक शब्द जिसका इस संहिता में उपयोग किया गया है और जो अधिनियम में परिभाषित किया गया है, लेकिन इस संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है, पर इसका अर्थ अधिनियम और संहिता में एक समान ही है.

भाग 3
हस्ताक्षरी बनना

8. हस्ताक्षरी बनने के लिए आवेदनों को प्राप्त और एक्सेस करने के लिए संहिताव्यवस्थापक काफ़ंक्शन

संहिताव्यवस्थापक को निम्नलिखित करना चाहिए—

a. इस संहिता के हस्ताक्षरी बनने की चाह रखने वाले प्रदाताओं से आवेदनप्राप्त करना; और

b. निम्नलिखित के विरुद्ध आवेदनों का आंकलन करना—

   i. धारा 9 में निर्धारित कोई हस्ताक्षरी बनने के लिए मानदंड; और

   ii. घारा 5 और 6 में निर्धारित इस संहिता का उद्देश्य और दायरा.

9. हस्ताक्षरी बनने कामानदंड

इस संहिताके लिए हस्ताक्षरी बनने के लिए एक आवेदक के मानदंड निम्नलिखित हैं:

a. आवेदक प्रदाता है;

b. आवेदक शैक्षिक निर्देश प्रदान करता है या प्रदान करने की इच्छा रखता है;

c. आवेदक के पास स्वीकार्य वित्तीय प्रबंधन अभ्यास और प्रदर्शन है;

d. आवेदक के पास ऐसी नीतियां और कार्यविधियां है जो उसे इस संहिताके लिए आवश्यक परीणामों की मांग और प्रक्रियाओं को प्राप्त करना सक्षम बना देगा;

e. संहिता व्यवस्थापक आवेदक को इस संहिता के हस्ताक्षरी के रूप में अनुमोदन के लिए अन्यथा अनुपयुक्त नही मानता है.

10. संहिताव्यवस्थापक हस्ताक्षरी के अनुरोध पर हस्ताक्षरी को निकाल सकता है

हस्ताक्षरी के अनुरोधपर, संहिताव्यवस्थापक हस्ताक्षरी को इस संहिताके हस्ताक्षरी की भूमिकासे निकाल सकता है.

भाग 4
हस्ताक्षरियों को क्या अवश्य करना चाहिए

विपणन और प्रचार

11. परिणाम 1: विपणन और प्रचार

हस्ताक्षरियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि भावी अंतर्राष्ट्रीय छात्रोंके लिए हस्ताक्षरियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं का विपणन और प्रचार में स्पष्ट, पर्याप्त और सटीक जानकारी शामिल होती है जिनसे वे छात्र प्रदत्त सेवाओं के बारे में सूचित निर्णय ले पाते हैं.

12. प्रक्रिया

प्रत्येक हस्ताक्षरी को निम्नलिखित करना चाहिए—

a. जानकारी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आवश्यकताओं को समझने का अग्रसक्रिय रूप से प्रयास करें; और

b. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए जानकारी तैयार करें और उन्हें वह प्रदान करें और जानकारी की समीक्षा करके सुनिश्चित करें कि वह अद्यतित है; और

c. सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को, कम से कम, निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त हो:

   i. हस्ताक्षरी के गुणवत्ता आश्वासन परिणाम; और

   ii. शैक्षिक निर्देश, स्टाफ़-निर्धारण, सुविधाएं और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए उपलब्ध उपकरण; और

   iii. DRS; और

   iv. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए संभावित अध्ययन परिणाम, जिनमें आगे की पढ़ाई और रोज़गार, जहां लागू हो, के लिए मार्ग शामिल हैं; और

   v. अंतर्राष्ट्रीय छात्रोंके लिए अनुमानित पढ़ाई और रहन-सहन की कीमत; और

   vi. निवास और परिवहन या ऐसी जानकारी प्राप्त करने के तरीके .

एजेंट

13. परिणाम 2: एजेंट प्रबंधित और मॉनिटर करना

हस्ताक्षरियों को प्रभावशाली रूप से उनके एजेंट को प्रबंधित और मॉनिटर करना चाहिए (अर्थात, वे एजेंट जिनके साथ हस्ताक्षरियों ने उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अनुबंध किया है) ताकि यह सुनिश्चित हो कि वे एजेंट—

a. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को न्यूज़ीलैंड में पढ़ने, काम करने और रहने के बारे में विश्वसनीय जानकारी और सलाह दें; और

b. भावी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ ईमानदारी और व्यावसायिकता के साथ व्यवहार करें.

c. जो कानून का उल्लंघन नहीं करता है या हस्ताक्षरी के इस संहिता के साथ अनुपालन को जोखिम में नहीं डालता है

14. प्रक्रिया

प्रत्येक हस्ताक्षरी को निम्नलिखित करनाचाहिए—

a. जहां तक संभवहो वहां तक यहसुनिश्चित करने के लिए संभावित एजेंट पर संदर्भजांच करना और उसे रिकॉर्ड करना कि वे किसी भी के झूठे , भ्रामक, धोखे में डालने वाले या कानून का उल्लंघन करने वाले अनुबंध में शामिल नही हैं; और

b. अपने प्रत्येक एजेंट के साथ लिखित अनुबंध करना; और

ba. एक अनुबंध की अवधि के दौरान, गतिविधियों और उसके एजेंटों के प्रदर्शन की इस संबंध में निगरानी करें

   i. अनुबंध में स्थापित उनके दायित्व; और

   ii. क्या वो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को न्यू ज़ीलैंड में पढ़ाई, काम और रहने के संबंध में विश्वसनीय जानकारी और सलाह देते हैं या नहीं; और

   iii. क्या वो भावी छात्रों के साथ बातचात करते समय सत्यनिष्ठा और दक्षता से पेश आते हैं; और

   iv. क्या उन्होंने किसी ऐसी गतिविधि में भाग लिया है या आचरण किया है जो हस्ताक्षरी के विचार से कानून का उल्लंघन करती हो या हस्ताक्षरी के इस संहिता के साथ अनुपालन को जोखिम में डालती हो; और

bb. एजेन्टों का प्रबंधन निम्नलिखित तरीके से करे

i. एजेन्ट के साथ अनुबंध को समाप्त कर देना अगर प्रमाण हो कि एजेन्ट ने निम्न किया है

A. ऐसे किसी भी गंभीर, जानबूझकर किए जाने वाले और जारी आचरण में शामिल हैं जो झूठा, भ्रामक, धोखा देने वाला या कानून का उल्लंघन करने वाला हो; या

B. हस्ताक्षरी के इस संहिता के साथ अनुपालन को जोखिम में डाला हो; और

ii. उप धारा (ba) में वर्णित विषयों के संबंध में एजेन्टों के किसी भी आचरण या चूक को संबोधित करने के लिए उचित कार्यवाही करें।

d. सुनिश्चित करें कि हस्ताक्षरी के साथ अनुबंध में निर्दिष्ट के अनुसार इसके एजेंट के पास उसकी ड्यूटी से प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध रहे, वह उसे बनाए रखे और उसे अद्यतित करता रहे।

ऑफर, नामांकन, अनुबंध और बीमा

15. परिणाम 3: ऑफर, नामांकन, अनुबंध और बीमा

हस्ताक्षरियों को निम्नलिखित करना ही चाहिए—

a. शैक्षिक परिणामों की मांग के लिए उपयुक्त पूरी जानकारी के साथ नामांकन निर्णय लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय छात्रों (या 18 से कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय छात्रोंके माता-पिता या कानूनी अभिभावकों) का समर्थन करना; और

b. यह सुनिश्चित करना कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों (या 18 से कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के माता-पिता या कानूनी अभिभाव कों) के पास किसी हस्ताक्षरी के साथ कानूनी रूप से बाध्य अनुबंध करने से पहले अपनी रुचियों और दायित्वों को समझने के लिए आवश्यक जानकारी है; और

ba. सुनिश्चित करें कि नामांकन का प्रत्येक अनुबंध न्यायोचित और युक्तियुक्त हो

bb. सुनिश्चित करें कि कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार की जाए; और

bc. सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को यात्रा की कीमत पर बीमा, चिकित्सीय देखभाल, देश-प्रत्यावर्तन, निर्वासन और दाह संस्कार की कीमत सहित उपयुक्त बीमा व्याप्ति हो।

c. सुनिश्चित करना कि उचित दस्तावेज़ रखे गए हैं और, जहां उपयुक्त हो, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों (या 18 से कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के माता-पिता या कानूनी अभिभाव कों)को प्रदान किए गए हैं.

16. प्रक्रिया: शैक्षिक निर्देश पर ऑफर

प्रत्येक हस्ताक्षरी को सुनिश्चित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को, कम से कम, निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त हो:

16A. प्रक्रिया: अनुबंध में शामिल होने से पहले जानकारी उपलब्ध कराई जानी चाहिए

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को सुनिश्चित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले, उन छात्रों को कम से कम, निम्नलिखित के बारे में जानकारी प्राप्त हो:

a. शैक्षिक गुणवत्ताआश्वासन एजेंसियों द्वारा उनके मूल्यांकनों के सबसे हाल के परिणाम:

b. अधिनियम के तहत लागू वे अनुपालन सूचनाएं और शर्तें जिसे संहिताव्यवस्थापक निदेशित करताहै, भावी अंतर्राष्ट्रीय छात्रोंको उन्हें दिखाया जाना चाहिए:

c. प्रदत्त शिक्षा और उसका परिणाम, उदाहरण के लिए, क्या किसी योग्यता की अनुमति दी गई है:

d. धनवापसी शर्तें जो धारा29 और 30 के परिणाम और प्रक्रियाकाअनुपालनकरती हैं:

e. स्टाफ़-निर्धारण, सुविधाएं और उपकरण:

f. उपलब्ध सेवाएं और सहायता:

g. हस्ताक्षरी से शैक्षिक निर्देश प्राप्त करने के लिए बीमा और विज़ा आवश्यकताएं:

h. यह संहिता और DRS नियम:

i. शैक्षिक निर्देश का ऑफ़र करने से संबंधित पूरी लागतें.

2. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि, हस्ताक्षरी के साथ नामांकन के अनुबंध में प्रवेश करने या हस्ताक्षरी के साथ नामांकन करने से पहले, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय छात्र(या18 से कम उम्र काहोने पर छात्रके माता-पितायाकानूनी अभिभावक) को इस संहिताके तहत अधिकारों सहित हस्ताक्षरी से शैक्षिक निर्देश प्राप्त करने के संबंधमें छात्रके अधिकारों और दायित्वोंके बारे में सूचित किया जाए.

16B. प्रक्रिया: नामांकन का अनुबंध

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हस्ताक्षरी और प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय छात्र(या18 से कम उम्र काहोने पर छात्रके माता-पितायाकानूनी अभिभावक) के बीच नामांकन का अनुबंध किया गया है, जिसमें निम्नलिखित जानकारी और शर्तें शामिल हो :
   a. नामांकन की शुरुआत और अंतिम तारीख की स्पष्ट जानकारी:
   b. नामांकन के अनुबंध को खत्म करने की शर्तें:
   c. वो परिस्थितियाँ जिनमें छात्र के आचरण को नामांकन के अनुबंध का उल्लंघन माना जाएगा (जिसमें वो आचरण भी शामिल है जो तब का है जब छात्र प्रत्यक्ष पर्यवेक्षक या हस्ताक्षरी के नियंत्रण में न हो) :
   d. हस्ताक्षरी द्वारा छात्र के खिलाफ किस प्रकार की अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी (जैसे कि , निलंबन, बहिष्करण, या नामांकन की समाप्ति) :
   e. वो पद्धति जो हस्ताक्षरी को छात्र के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करते समय पालन करनी पड़ेगी।
2. प्रत्येक हस्ताक्षरी को सुनिश्चित करना होगा कि नामांकन का अनुबंध न्यायोचित और युक्तियुक्त हो

16C. प्रक्रिया: अनुशासनात्मक कार्यवाही

हस्ताक्षरी द्वारा की जाने वाली कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार होनी चाहिए (जिसमें कार्यवाही के मामले का त्वरित, सोच समझ कर लिया गया, और न्यायोचित समाधान को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम भी शामिल हैं)।

16D. प्रक्रिया: बीमा

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यहसुनिश्चित करना होगा कि, जहां तक व्यावहारिक हो, प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय छात्र जिसका 2 सप्ताह या उससे अधिक अवधि के शैक्षिक निर्देश के लिए हस्ताक्षरी के साथ नामाकंन किया गया हो, तो वह छात्र उपयुक्त बीमा से सुरक्षित हो
   a. छात्रकी यात्रा—
      i. न्यूज़ीलैंड से और वहां तक; और
      ii. न्यूज़ीलैंड में; और
      iii. यदि यात्रा शैक्षिक निर्देश का हिस्सा है, न्यूज़ीलैंड के बाहर; और
   b. न्यूजीलैंड में चिकित्सीय देखभाल, निदान, पर्चे, सर्जरी और अस्पताल में भर्ती सहित; तथा
   c. किसी गंभीर बीमारी या चोटके परिणामस्वरूप छात्र का देश-प्रत्यावर्तन या निर्वासन, जिसमें देश-प्रत्यावर्तन या निर्वासन में सहायता करने वाले परिवार के सदस्योंद्वारा व्यय किए गए यात्रा की लागतों का बीमा शामिल है; और
   d. छात्र की मृत्यु, जिसमें निम्नलिखित बीमित है—
      i. न्यूज़ीलैंड से आने और वहां जानें के लिए परिवार के सदस्यों की यात्रा की लागतें; और
      ii. संस्था के देश-प्रत्यावर्तन या निर्वासन की लागतें; और
      iii. अंतिम संस्कार काखर्च.
2. उप खंड (1)(a)(i) और (ii) में शामिल है छात्र के शैक्षिक निर्देशों के शुरू होने से पहले और खत्म होने पर (जो उनके नामांकन अवधि के बाद हो सकता है), उनके मूल देश या जिस देश की उनकी नागरिकता है, वहाँ से आना और जाना।
3. उप खंड (1)(a)(i) में छात्र की अन्य देशों की यात्रा शामिल नहीं है, जब तक कि यह यात्रा विशिष्ट रूप से न्यू ज़ीलैंड जाने और वहाँ से आने के लिए कनेक्टिंग फ्लाइट लेने के उद्देश्य से गई हो।

16E. प्रक्रिया : निर्णय जिसके लिए माता-पिता या अभिभावक की लिखित सहमति चाहिए

प्रत्येक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि, जहां उपयुक्त हो, उसको 18 से कम उम्र के छात्र को प्रभावित करने वाले निर्णयों के संबध में उस छात्रके माता-पिता या कानूनी अभिभावक से लिखित में अनुबंधप्राप्त करनाहोगा.

आप्रवासन मामले

17. परिणाम 4: आप्रवासन मामले

हस्ताक्षरियों को निम्नलिखित करना ही चाहिए—

a. यह सुनिश्चित करना कि वे उस व्यक्ति को शैक्षिक निर्देश लेने की अनुमति या ऐसा करना जारी रखने की अनुमतिन ही दें यदि वह व्यक्ति शैक्षिक निर्देश लेने के लिए आप्रवासन अधिनियम 2009 के तहत नामांकित नही है; और
b. उचित सावधानी बरतनाऔर यहपतालगाने में यथोचित परिश्रम करनाकिक्याअंतर्राष्ट्रीय छात्रउस शैक्षिक निर्देश को लेने के लिए आप्रवासनअधिनियम 2009 के तहत हकदार हैं जिनके लिए उन्होंने नामांकन किया है.

18. प्रक्रिया

प्रत्येक हस्ताक्षरी को निम्नलिखित करनाचाहिए—

a. सुनिश्चित करना कि प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो हस्ताक्षरी के साथ नामांकन करता है, उसके पास न्यूज़ीलैंड में पढ़ने के लिए आवश्यक आप्रवासन स्थिति है; और

b. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों द्वारा विज़ा की शर्तों के ज्ञात या संदिग्ध उल्लंघनो की रिपोर्ट करना; और

c. नामांकन की समाप्तियों के बारे में आप्रवासन न्यूज़ीलैंड को सूचित करना.

उन्मुखीकरण

19. परिणाम 5: उन्मुखीकरण

हस्ताक्षरियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पास एक ऐसे अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए और उम्र के अनुसार उपयुक्त प्रोग्राम में भाग लेने का अवसर मिले जो उनके शैक्षिक निर्देश के प्रारंभ में उनके लिए आवश्य जानकारी और सलाह प्रदान करता है.

20. प्रक्रिया

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका उन्मुखीकरण प्रोग्राम—

   a. प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय छात्र को सभी प्रासंगिक संस्थागत नीतियों पर पूर्ण जानकारी और सलाह प्रदान करता है; और

   b. प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय छात्र को हस्ताक्षरी द्वारा ऑफ़र की जाने वाली सेवाओं, सहायता और सुविधाओं पर पूर्ण जानकारी और सलाह प्रदान करता है; और

   c. अंतर्राष्ट्रीय छात्र सहायता के लिए ज़िम्मेदार नामित स्टाफ़ सदस्यों के नाम और संपर्क जानकारी प्रदान करता है; और

   d. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित उपयुक्त जानकारी प्रदान करता है; और

   e. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए विपत्ति कार्यविधियों के बारे में जानकारी प्रदान करताहै, आंतरिक और बाहरी दोनों; और

   f. नामांकन की समाप्ति के बारे में जानकारी प्रदान करता है.

   g. छात्र द्वारा शैक्षिक निर्देश स्वेच्छा से छोड़ने पर फीस वापस होने के अधिकार सहित छात्र के अधिकारों और हकों की जानकारी प्रदान करता है

2. 18 से कम उम्र वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रके लिए, एक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करनाहोगा, जहां लागू हो, कि छात्र के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या निवासी देखभालकर्ता में से कोई भी जो न्यूज़ीलैंड में रहता हो और छात्र के साथहै, उसके पास उस उन्मुखीकरण जानकारी या प्रोग्राम का एक्सेस है जो छात्रको दी गई है.

सुरक्षा और कल्याण

21. परिणाम 6: सुरक्षा और कल्याण

हस्ताक्षरियों को निम्नलिखित करना ही चाहिए—

a. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए पढ़ाई का सुरक्षित परिवेश प्रदान करना; और

b. अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के कल्याण के लिए पर्याप्त सहायता प्रदान करना; और

c. जहां तक व्यावहारिक हो, सुनिश्चित करें कि अंतर्राष्ट्रीय छात्र एक सुरक्षित परिवेश में रहें.

22. प्रक्रिया: सामान्य

प्रत्येक हस्ताक्षरी को निम्नलिखित करना चाहिए—

a. किसी अंतर्राष्ट्रीय छात्र द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने या इनसे उनके प्रभावित होने के मामलों में निष्पक्षता और प्रभावी रूप से प्रतिक्रिया देना; और

b. ऐसे अनुचित व्यवहार के लिए नीतियां बनाना और बनाए रखना जिन्हें स्टाफ़ और छात्रोंको बता दिया गया है और प्रभावी रूप से लागू है; और

c. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निम्नलिखित कैसे किया जाए, उसकी सलाह दें-

   i. स्वास्थ्य और सुरक्षा समस्याओं की रिपोर्ट करनाऔर उनका समाधान करना (कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर दोनों की गतिविधियों के लिए); और

   ii. किसी आपातकाल स्थिति पर प्रतिक्रिया देना(कैंपस के अंदर और कैंपस के बाहर दोनों की गतिविधियों के लिए); और

   iii. स्वास्थ्य और परामर्श सेवाओं को एक्सेस करना; और

   iv. न्यूज़ीलैंड पुलिस और औरंगा तमरिकी अधिनियम 1989 के लागू होने के लिए जिम्मेदार विभाग जैसी प्रासंगिक सरकारी एजसियों से वे जुड़ें; और

d. प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय छात्रऔर उनके परिजन के लिए अद्यतित संपर्क जानकारी है; और

e. सुनिश्चित करें किहर समय (दिनके 24 घंटे, सप्ताहके 7 दिन) कम से कम स्टाफ़ का 1 सदस्य उपलब्ध रहे जिससे आपातकाल स्थितिमें अंतर्राष्ट्रीय छात्र संपर्क कर सके .

23. प्रक्रिया: 18 से कम वर्षवाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र

1. 18 से कम उम्र वाले अंतर्राष्ट् रीय छात्रोंके संबंधमें, प्रत्येक हस्ताक्षरी को निम्नलिखित करनाचाहिए—
   a. ऐसे 10 या उससे अधिक उम्र लेकिन18 से कम उम्र वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को नामांकित नही करें जो माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ नही रहता है, बशर्ते—
      i. छात्र जो ऐसे छात्रों के उचित तरीके से निगरानी वाले समूह में हो, जिनका शैक्षिक निर्देश 3 से अधिक महीनों का नही है; या
      ii. छात्र किसी निवासी देखरेखकर्ता की देखभाल में है; और
   b. छात्रों के माता-पिता, कानूनी अभिभावकों और निवासी देखरेखकर्ताओं के लिए अद्यतित संपर्क जानकारी है; और
   c. छात्रों के कल्याण और पढ़ाई में प्रगति को लेकर उनके माता-पिता, कानूनी अभिभावकों या निवासी देखभालकर्ताओं के साथ प्रभावी संचार बनाए रखना; और
   d. सुनिश्चित करना कि कम से कम 1 स्टाफ़ सदस्य नियुक्त हो जो अग्रसक्रिय रूप से 18 से कम उम्र वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को लेकर किसी भी चिंता को मॉनिटर करे और उसका समाधान करे; और
   e. अगर छात्र की कोई निवासी देखभालकर्ता देखभाल करते हैं,
      i. सुनिश्चित करें कि छात्र की देखभाल करने की जिम्मेदारी निवासी देखभालकर्ता से स्थानांतरित करके माता-पिता या कानूनी अभिभावक अथवा माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा अनुमोदित व्यक्ति को सौंपे जाने की योजना हो, निम्नलिखित के लिए-
         A. नामांकन की अवधि के दौरान प्रत्येक स्थानांतरण के लिए; और
         B. नामांकन के अंत में होने वाला स्थानांतरण; और
      ii. सुनिश्चित करें कि माता-पिता या कानूनी अभिभावक को प्रत्येक स्थानांतरण योजना के बारे में सूचित किया जाए।
2. 10 वर्ष की उम्र से अधिक लेकिन 18 वर्ष की उम्र से छोटे अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर इस धारा के साथ-साथ धारा 22 की आवश्यकताएं भी लागू होंगी।

24. प्रक्रिया: 10 से कम वर्षवाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि 10 से कम उम्र वाले उसके अंतर्राष्ट्रीय छात्र अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ रहते हैं, जब तक कि वे स्कूल होस्टल में नही रहते हो.
2. 10 वर्ष की उम्र से कम के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों पर धारा 22 और धारा 23 की आवश्यकताएं लागू होंगी।

25. प्रक्रिया: जोखिम में याविशेषआवश्यकताओ वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि—
   a. जोखिम में या विशेष आवश्यकताओं वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं का समाधान करने के लिए उपयुक्त उपाय लिए गए हैं; और
   b. 18 से कम उम्र वाले किसी छात्र के माता-पिता या कानूनी अभिभावक या18 वर्ष या उससे अधिक उम्र वाले छात्र के परिजन को ऐसी किसी भी स्थिति के बारे में पता हो जहां छात्र जोखिम में हो या उसकी विशेष आवश्यकताएं हैं; और
   c. जहां उपयुक्त हो और गोपनीयता अधिनियम 1993 के सिद्धांतों के अनुपालन में हो, वहां छात्रों से संबंधित समस्याओं के बारे में न्यूज़ीलैंड पुलिस और औरंगा तमरिकी अधिनियम 1989 के लागू होने के लिए जिम्मेदार विभाग जैसी प्रासंगिक एजेंसियों और संहिता व्यवस्थापक को रिपोर्ट किया जाएगा।
2. एक छात्र तब जोखिम में होताहै जब हस्ताक्षरी के पास यह मानने के उचित आधार होते हैं कि छात्र के स्वास्थ्य, सुरक्षा या कल्याण से संबंधित कोई गंभीर समस्याहै, उदाहरण के लिए जिसमें निम्नलिखित शामिल है,—
   a. छात्र खुद को उस उल्लेखनीय जोखिम या शोषण से पर्याप्त रूप से सुरक्षित नहीं कर पाते हैं;
   b. छात्र अपनी व्यक्तिगत देखभाल को पर्याप्त रूप से सुरक्षित रखने में असमर्थ हैं.
3. विशेष आवश्यकताओं वाला छात्र वह छात्र होता है—
   a. जो शारीरिक, संवेदी, संज्ञानात्मक, मनोसामाजिक याव्यवहार में कठिनाई या इनके एक संयोजन का अनुभव करता है और वह कठिनाई या वे कठिनाइयां छात्र द्वारा भाग लेने, सीखने और उपलब्धियां प्राप्त करने में उसको प्रभावित करती हैं; या
   b. जिसे पाठ्यक्रम एक्सेस करने, भाग लेने, सीखने और उपलब्धियां प्राप्त करने में छात्र को सहायता के लिए अनुकूलित प्रोग्राम या सीखने के परिवेश या विशेष उपकरण या सामग्रियों के प्रावधान की आवश्यकता होती है.
4. यह धारा, धारा 22, 23 और 24 में निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त लागू होती है.

26. प्रक्रिया: निवास

1. 18 से कम उम्र वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्र के संबंध में जो किसी निवासी देखभालकर्ता की देखभाल में है, हस्ताक्षरी को निम्नलिखित करनाही चाहिए—
   a. सुनिश्चित करें कि छात्र का निवास-स्थान सुरक्षित है, स्वीकार्य स्थितिमें है और सभी विनियामक और विधायी आवश्यकताओं को पूरा करता है; और
   b. सुनिश्चित करें कि धारा 26A(1) में उल्लेखित सुरक्षा जाँच पूरी की जाए और अद्यतन हो; और
   ba. सुनिश्चित करें कि प्रत्येक व्यक्ति जो 18 वर्ष का या उससे अधिक का हो और जो निवासी देखभालकर्ता के आवास में रहता हो, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उपयुक्त जाँच पूरी की गई हो और अद्यतन हो; और
   bb. निवासी देखभालकर्ता के साथ लिखित अनुबंध हो जो प्रत्येक पक्ष की छात्र की देखभाल के संबंध में भूमिका और जिम्मेदारियों को स्थापित करता हो; और
   c. निवास-स्थान संबंधी समस्याएं होने पर छात्र और छात्र के माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ प्रभावी संचार बनाए रखें और उन्हेंउनसमस्याओं कासमाधानकरने के लिए ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसमें उनकी प्रासंगिक प्राधिकरणों में रिपोर्टकरनाऔर छात्रोंको उपयुक्तनिवास-स्थानमें ले जानाशामिल है; और
   d. निवासी देखभाल की गुणवत्ता को मॉनिटर और उसकी समीक्षा करने के लिए पर्याप्त छात्र इंटरव्यू लें और उनके घर पर विज़िट करें, ऐसे में छात्र की उम्र, रहने की अवधि और अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखें; और
   e. यदि छात्र का निवासी देखभालकर्ता नामित देखभालकर्ता है तो सुनिश्चित करें कि छात्र के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने लिखित में अनुबंध किया है कि नामित देखभालकर्ता हस्ताक्षरी की अनुमति के अधीन होगा और यह कि नामित देखभालकर्ता की निगरानी में होने पर छात्र की रोज़ाना की देखभाल के लिए हस्ताक्षरी ज़िम्मेदार नहीं होगा; और
   ea. यदि छात्र का निवासी देखभालकर्ता पर्यवेक्षक है जैसा कि धारा 26A(2) में वर्णित है तो सुनिश्चित करें कि छात्र के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ने लिखित में अनुबंध किया है कि छात्र जब पर्यवेक्षक की निगरानी में होगा तो हस्ताक्षरी छात्र की दैनिक देखभाल के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा; और
   f. सुनिश्चित करें कि निवास स्थान में अंतर्राष्ट्रीय छात्र और अलग-अलग उम्र के छात्रों को उपयुक्त रूप से अलग-अलग रखा गया है; और
   g. सुनिश्चित करें कि निवास स्थान में छात्र की उपयुक्त रूप से देखरेख की जार ही है.

1A. उप धारा (1))(ba), के लिए, एक व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक की है और जो निवासी देखभालकर्ता के निवास में रहता है में उस उम्र का व्यक्ति शामिल है जो
   a. अस्थायी तौर पर उस निवास में रहता है; या
   b. जो किसी भी महीने (विचार करने योग्य या नहीं) में 1 या उससे ज्यादा अवधियों के लिए उस निवास में रहता है या रहेगा, जहाँ एक अवधि 5 या उससे अधिक लगातार राते हों।

2. हस्ताक्षरी द्वारा प्रदत्त या व्यवस्थित निवास स्थान में रहने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय छात्र के संबंधमें, हस्ताक्षरी को निम्न करना चाहिए—
   a. सुनिश्चित करें कि छात्र का निवास-स्थान सुरक्षित है, स्वीकार्य स्थिति में है और सभी विनियामक और विधायी आवश्यकताओं को पूरा करता है; और
   b. निवास-स्थानसंबंधी समस्याएं होने पर छात्र के साथ प्रभावी संचार बनाए रखें और उन्हें उन समस्याओं कासमाधानकरने के लिए ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, जिसमें उनकी प्रासंगिक प्राधिकरणों में रिपोर्ट करना शामिल है.

3. अपने लिए स्वयं निवास स्थान व्यवस्थित करने वाले 18 वर्ष या उससे अधिक उम्र के अंतर्राष्ट्रीय छात्र के संबंध में, हस्ताक्षरी को यहसुनिश्चित करनाहोगाकिछात्रको प्रासंगिक सलाह और जानकारी दी गई है जिससे वे न्यू ज़ीलैंड में एक किरायदार के रूप में अपने अधिकार और दायित्वों को समझ पाएंगे.

3A. किसी भी प्रकार के संदेह से बचने के लिए, यदि धारा 26A(2) में वर्णित के अनुसार निवासी देखभालकर्ता पर्यवेक्षक है या नामित देखभालकर्ता है, तो हस्ताक्षरी को इस धारा की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा और छात्र की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करना होगा।

4. इस धारामें, **निवास-स्थानसंबंधी समस्याओं** में छात्र के निवास स्थान से होने वाली या उससे जुड़ी स्वास्थ्य और कल्याण संबंधी समस्याएं शामिल हैं.

26A. प्रक्रिया:सुरक्षा जाँच और उपयुक्त जाँच

1. धारा 26(1)(b) में उल्लेखित निवासी देखभालकर्ता के लिए सुरक्षा जाँच
   a. में निम्नलिखित शामिल होने चाहिए
      i. पहचान की पुष्टि; और
      ii. संदर्भ जाँच जिसमें ऐसी सूचना प्राप्त करने के उद्देश्य से निम्नलिखित व्यक्तियों या निकायों में से कम से कम 1 से संपर्क करना शामिल हो जो हस्ताक्षरी जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक हो:
         A. निवासी देखभालकर्ता के वर्तमान या पिछले नियोक्ता, पेशेवर निकाय, या पंजीकृत प्राधिकरण:
         B. लाइसेंस देने वाला प्राधिकरण जो निवासी देखभालकर्ता के व्यवसाय या व्यावसायिक गतिविधियों से संबंधित है:
         C. एक ऐसा व्यक्ति जो निवासी देखभालकर्ता से संबंधित न हो; और
      iii. जोखिम मूल्यांकन के लिए प्रासंगिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पुलिस जाँच; और
      iv. जोखिम मूल्यांकन के लिए हस्ताक्षरी द्वारा प्रासंगिक मानी जाने वाली जानकारी प्राप्त करने के लिए निवासी देखभालकर्ता के साथ साक्षात्कार; और
      v. एक जोखिम मूल्यांकन जो उपभाग (i) से (iv) के तहत प्राप्त की गई जानकारी पर विचार करते हुए यह निर्धारित करता है कि क्या निवासी देखभालकर्ता छात्र की सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है या नहीं;और
   b. **अद्यतन** किया हुआ है अगर वो पिछली सुरक्षा जाँच की तारीख के 3 वर्ष के अंदर पूरा किया जाता है।
2. उपधारा (1)(a)(ii) से(v) ऐसे निवासी देखभालकर्ता पर लागू नहीं होंगे जो
   a. धारा 7 (1) में निवासी देखभालकर्ता की परिभाषा के भाग (e) के अनुसार एक पर्यवेक्षक है; और
   b. न्यू ज़ीलैंड का निवासी नहीं है;और
   c. अंतर्राष्ट्रीय छात्र के साथ उसकी शैक्षिक निर्देश के दौरान निगरानी करने के उद्देश्य से छात्र के साथ यात्रा करता है और उसके साथ रहता है.
3. उपधारा 26 (1) (ba) में उल्लेखित उपयुक्त जाँच **अद्यतन** किया हुआ है अगर वो पिछली जाँच की तारीख के 3 वर्ष के अंदर पूरा किया जाता है।

छात्रसहायता, सलाहऔर सेवा

27. परिणाम 7: छात्रसहायता, सलाहऔर सेवा

हस्ताक्षरियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके शैक्षिक परिणामों में सहायता के लिए उन्हें प्रासंगिक सलाह और सेवाओं के बारे में पूरी तरह से सूचित रखा गया है.

28. प्रक्रिया

प्रत्येक हस्ताक्षरी को निम्नलिखित करनाचाहिए—

a. सुनिश्चित करें कि हस्ताक्षरी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को दी गई जानकारी और सलाह सटीक, उम्र के अनुसार उपयुक्त और अद्यतित है; और
b. अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उनके द्वारा सलाह या सेवाएं प्राप्त या स्वीकार करने पर उनके कानूनी अधिकारों और दायित्वों और, जहां संभवहो, संभावित जोखिमों के बारे में जानकारी प्रदान करता है; और
c. अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निम्नलिखित पर जानकारी और सलाह प्रदान करता है—
   i. भिन्न संस्कृति पृष्ठभूमिके लोगों के बीच प्रभावी रूप से बातचीत कै से कराएं; और
   ii. उनके लिए उपलब्ध सांस्कृतिक और सामुदायिक समर्थन; और
   iii. न्यू ज़ीलैंड में अलग संस्कृति के साथ कैसे खुद को ढाला जाए; और
d. यह सुनिश्चित करना कि उनके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को, जहां उपयुक्त हो, आगे की पढ़ाई या रोज़गार के लिए मार्ग से संबंधी जानकारी और सलाह दी जाती है; और
e. यह सुनिश्चित करना कि, जहां लागू हो, इनके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पास निम्नलिखित पर जानकारी और सलाह का एक्सेस है—
   i. न्यूज़ीलैंड में न्यूनतम वेतन और श्रम स्थितियां; और
   ii. विज़ा शर्तों के तहत अनुमत कार्य के अधिकतम घंटें.

निकासीऔर बंद प्रबंधित करना

29. परिणाम 8: निकासीऔर बंद प्रबंधित करना

हस्ताक्षरियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रोंद्वारा न्यूज़ीलैंड में शैक्षिक निर्देश के लिए भुगतान की गई फ़ीस छात्रा द्वारा नामांकन वापस लेने या शैक्षिक निर्देश बंद करने या हस्ताक्षरी बंद करने की स्थितिमें सुरक्षित और संरक्षित है.

30. प्रक्रिया

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यहसुनिश्चित करनाहोगाकि—
   a. इसकी धनवापसी नीतियां वाजिब हैं और कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार हैं; और
   b. अंतर्राष्ट्रीय छात्रों (या 18 से कम उम्र के अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के माता-पिता या कानूनी अभिभावकों) को उन धनवापसी नीतियों के तहत उनके अधिकारों और दायित्वों को समझने के लिए पर्याप्त जानकारी प्रदान कियाहै.
2. एक धनवापसी नीति में निम्नलिखित स्थितियों के लिए धनवापसी शर्तें शामिल हैं:
   a. किसी छात्र द्वारा पढ़ाई के लिए विज़ा प्राप्त करने में विफल होना:
   b. छात्र द्वारा स्वेच्छा पाठ्यक्रम छोड़ना:
   c. हस्ताक्षरी द्वारा किसी छात्र के साथ अनुबंध किए गए के अनुसार शैक्षिक निर्देश का पाठ्यक्रम प्रदान नही कर पाना, चाहे वह अपने खुद के अनुबंधके कारण बंद हुआ हो या किसी शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन एजेंसी द्वारा आवश्यकता के रूप में:
   d. हस्ताक्षरी का हस्ताक्षरी नही रहना:
   e. हस्ताक्षरी का प्रदाता नही रहना.
3. उप-धारा (2)(c) या(d) की परिस्थिति में, हस्ताक्षरी को उन सेवाओं के लिए भुगतान की गई फ़ीस के साथ डील करना होगा जो सेवाएं नही दी गई हैं या निम्नलिखित के अनुसार भुगतान की गई फ़ीस का अप्रयुक्त हिस्सा:
   a. छात्र (या छात्र के माता-पिता या कानूनी अभिभावक) को विवादास्पद राशि की धनवापसी करें; या
   b. फ़ीस सुरक्षा तंत्र के लिए ज़िम्मेदार छात्र या संहिताव्यवस्थापक या एजेंसी द्वारा निदेशित किए जाने पर, छात्र (या छात्र के माता-पिता या कानूनी अभिभावक) के साथ सहमति दिए गए के अनुसार किसी अन्य हस्ताक्षरी को राशि ट्रांस्फ़र कर दें.

विपत्ति के लिए कार्यवाहिया

31. परिणाम 9: विपत्तियोंसे निपटना

हस्ताक्षरियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी अंतर्राष्ट्रीय छात्रोंके पास विपत्तियों से निपटने के लिए उचित और निष्पक्ष कार्यविधियां हैं.

32. प्रक्रिया

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि—
   a. इसके पास अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की विपत्तियों का समाधान करने क लिए प्रभावी आंतरिक प्रक्रिया है; और
   b. इसके अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी है.
2. प्रत्येक हस्ताक्षरी को अपने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को निम्नलिखित की सलाह देनी होगी—
   a. किसी छात्र द्वारा आंतरिक विपत्ति प्रक्रिया एक्सेस नही कर पाने या उस प्रक्रियाके उपयोग के परिणाम या अनुभवसे संतुष्ट नही होने पर संहिताव्यवस्थापक या DRS या किसी भी अन्य प्रासंगिक प्राधिकरण के पास उपाश्रय की उपलब्धता होना; और
   b. संहिता व्यवस्थापक से शिकायत कै से करें या DRS के तहत वित्तीय विवाद का समाधान कैसे प्राप्त करें.

अंतर्राष्ट्रीय छात्र अनुबंध के अनुपालन संबंधी विवाद समाधान योजना

33. परिणाम 10: अंतर्राष्ट् रीय छात्रअनुबंध के अनुपालन संबंधीविवाद समाधान योजना

हस्ताक्षरियों को DRS नियमों कापालन करना चाहिए.

34. प्रक्रिया

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह DRS नियमों के साथ परिचित है और उस विवाद में उन नियमों का पालन सुनिश्चित करना होगा जिसमें वहएक पक्षहै.
2. DRS नियमो का अनुपालन नही करना इस संहिता का उल्लंघन है और इससे संहिताव्यवस्थापक द्वारा प्रतिबंध ट्रिगर हो सकते हैं.

भाग 5
संहिताके उल्लंघन

35. संहिताउल्लंघन कीरिपोर्टकरना

1. कोई भी व्यक्ति निम्नलिखित कर सकताहै—
   a. संहिता व्यवस्थापक से शिकायत करना कि संहिता का उल्लंघन हुआ है; या
   b. संहिता के कथित उल्लंघन से संबंधित किसी भी समस्या का व्यवस्थापक को संदर्भ देना.
2. संहिताव्यवस्थापक को निम्नलिखित करनाहोगा—
   a. शिकायत यारेफ़रल प्राप्त करने और उनसे निपटने के लिए अपनी प्रक्रियाएं प्रकाशित करना; और
   b. कोई शिकायत करने यारेफ़रल बनाने में उपयोग के लिए फ़ॉर्मकी सलाहदे सकताहै.

36. संहिताव्यवस्थापक काशिकायत यारेफ़रल के लिए जवाब

1. धारा 35 के तहत कोई शिकायत या रेफ़रल प्राप्त करने पर, संहिता व्यवस्थापक को यह निर्णय लेना होगा कि क्या शिकायत या रेफ़रल में संहिता का ऐसाउल्लंघन शामिल है जिसके लिए अतिरिक्त जांच किया जाना चाहिए.
2. यदिसंहिताव्यवस्थापक निर्णय लेताहै किअतिरिक्तजांच आवश्यक है, तो उसे निम्नलिखित करनाचाहिए—
   a. कथित उल्लंघन का रिकॉर्ड बनाएं और उसकी जांच करें; और
   b. उस व्यक्ति को सूचित करें जिसने शिकायत या रेफ़रल के निर्णय की जांच करने के लिए कहाहै.
3. यदि संहिता व्यवस्थापक निर्णय लेता है कि अतिरिक्त जांच की आवश्यकता नही है, तो उसे निम्नलिखित विकल्पोंपर विचार करना चाहिए और उसके अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए:
   a. शिकायत या रेफ़रल को किसी अन्य एजेंसी को संदर्भित करना:
   b. शिकायत या रेफ़रल से अनौपचारिक रूप से निपटना:
   c. शिकायत या रेफ़रल को समाप्त करना.
4. किसी शिकायत या रेफ़रल की जांच में, यदि जांच को सुविधाजनक बनाने के लिए सहायता आवश्यक है (उदाहरण के लिए, भाषासंबंधी बाधासे निपटने के लिए आवश्यकता), तो संहिता व्यवस्थापक शिकायत या रेफ़रल करने वाले व्यक्ति की सहायता कर सकताहै (उस व्यक्ति को सहायता के लिए संदर्भ दे सकता).

37. संहिताअनुपालन कोमॉनिटर करना

1. प्रत्येक हस्ताक्षरी को इस संहिता में निर्धारित किए गए आवश्यक परिणामों और प्रक्रियाओं के प्रति अपने प्रदर्शन की स्व-समीक्षा (संहिता व्यवस्थापक द्वारा निर्दिष्ट आवृत्ति पर) करनी चाहिए और उसे दस्तावेज़ीकृ त करनाचाहिए.
2. संहिता व्यवस्थापक को हस्ताक्षरी की स्व-समीक्षा रिपोर्ट और ऐसी किसी भी जानकारी की, जिस संहिता व्यवस्थापक उपयुक्त मानता है, जांच करके आवश्यक परिणामों और प्रक्रियाओं के प्रति प्रत्येक हस्ताक्षरी के प्रदर्शनको मॉनिटर करना चाहिए.
3. यदि संहिता व्यवस्थापक को लगता है कि हस्ताक्षरी इस संहिता का अनुपालन नही कर रहाहै या नही करने की जोखिम पर है, तो वह उस हस्ताक्षरी के प्रदर्शन की जांच कर सकता है.
4. जांच—
   a. संहिता व्यवस्थापक के स्वयं की पहल पर या उसे प्रदान की गई जानकारी के परिणाम के अनुसार किसी भी तरीके से की जा सकती है, जिसमें इस संहिताके उल्लंघनकी शिकायत या रिपोर्ट शामिल है; और
   b. इसमें संहिता व्यवस्थापक द्वारा निम्नलिखित चरण शामिल हैं (लेकिन इन्हीं तक सीमित नही है), यह इन प्रत्येक चरण के हस्ताक्षरी की सहमति के अधीन है;
      i. किसी साइट पर जाना;
      ii. हस्ताक्षरी द्वारा रखे गए प्रासंगिक दस्तावेज़ों की जांच करना और उन्हें प्राप्त करना;
      iii. स्टाफ़और छात्रों काजैसा उपयुक्त हो इंटरव्यू लेना.
5. एक हस्ताक्षरी को संहिताव्यवस्थापक द्वाराजांच के दौरानदस्तावेज़, स्टाफ़और छात्रोंके एक्सेस के उचित अनुरोधों का पालन करना चाहिए.
6. संहिता व्यवस्थापक निम्नलिखित कर सकता है—
   a. यदि व्यावहारिक हो और उपयुक्त हो, तो संहिता के सुधार याउसके अनुपालनके लिए हस्तक्षेप करने के लिए सहमति देने के उद्देश्य के लिए शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों और प्रासंगिक सरकारी एजेंसियों के साथ परामर्श करना और जानकारी साझा करना; और
   b. समान उद्देश्य से शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों और प्रासंगित सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रदत्त जानकारी प्राप्त करनाऔर उसपर विचार करना.

38. संहिता उल्लंघन के लिए प्रतिबंध

संहिता व्यवस्थापक अधिनियम के खंड 238G के अनुसार इस संहिता के उल्लंघनके लिए प्रतिबंध लगा सकता है.

भाग 6
संहिता व्यवस्थापक

39. बाध्यताओ की रिपोर्ट करना और उन्हें प्रकाशित करना

1. संहिता व्यवस्थापक को अपनी वार्षिक रिपोर्ट में इस संहिता के व्यवस्थापन में अपनी गतिविधियों पर रिपोर्ट शामिल करना होगा.
2. यदि जांच के दौरान संहिता व्यवस्थापक को शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित कोई प्रणालीगत समस्या मिलती है या इस संहिता का गंभीर उल्लंघन मिलता है, तो संहिता व्यवस्थापक को उस समस्या या उल्लंघन की रिपोर्ट शिक्षा गुणवत्ता आश्वासन एजेंसियों या किसी भी प्रासंगिक सरकारी एजेंसी से करनी चाहिए.
3. संहिता व्यवस्थापक, उपधारा (4) में निर्धारित सीमित उद्देश्यों से, इस संहिता के उल्लंघन की जांच और परिणाम का सारांश प्रचारित या अन्यथा प्रकाशित कर सकताहै, यह गोपनीयता की सुरक्षा की उपयुक्तसुरक्षाओं और संपादनों के अधीनहै.
4. उपधारा(3) में संदर्भित उद्देश्य निम्नलिखित हैं—
   a. शिक्षा प्रदाताओं, छात्रों और अन्य शैक्षिक रुचि समूहों को सूचित रखना; और
   b. इस संहिता के तरह जांच और निर्णय लेने की प्रक्रिया का प्रदर्शन करना.
5. संहिता व्यवस्थापक को यह संहिता शिक्षा प्रदाताओं और अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने प्रचारित करने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए.

40. शर्तों और अनुपालन सूचनाओं का प्रकटन

संहिता व्यवस्थापक यह निर्णय ले सकता है कि अधिनियम के भाग 18A के तहत लागू की गई कुछ शर्तों और जारी की गई अनुपालन सूचनाओं को भावी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के सामने प्रकट किया जाना चाहिए.

अनुसूची I
अवस्थापरिवर्तनकालिक, बचत और संबंधित प्रावधान

भाग 1

शिक्षा (अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पेस्टोरल देखभाल) कार्यसंहिता संशोधन 2019 से संबंधित

1. आरंभ होने से पहले नामांकन का अनुबंध निष्पादित

1. इस धारा के शुरू होने से पहले निष्पादित नामांकन का अनुबंध शिक्षा (अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पेस्टोरल देखभाल) कार्य संहिता संशोधन 2019 के तहत नामांकन अनुबंध के संबंध में हुए संशोधनों का अनुपालन करता कहा जाएगा जब तक कि इनमें से जो भी पहले हो
   a. नामांकन अनुबंध के अन्त में या उसके खत्म होने पर; और
   b. 31 दिसम्बर 2019.
2. इस उपधारा (1) के बावजूद, इस धारा के शुरू होने पर, नामांकन अनुबंध जो इस धारा के शुरू होने से पहले निष्पादित किया गया, उसमें धारा 16B(1) के भाग (c), (d), और (e) में निर्धारित की गई आवश्यकताओं को पूरा करती जानकारी और शर्तें शामिल होनी चाहिए जैसा कि शिक्षा (अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की पेस्टोरल देखभाल) कार्य संहिता संशोधन 2019 (जो छात्र आचरण और अनुशासनात्मक कार्यवाही से संबंधित है) में जोड़ा गया है।

---

2 मार्च 2016 को वेलिंगटन में दिनांकित.

माननीय स्टीवन जॉयस,
तृतीयक शिक्षा, कुशलता और रोज़गार मंत्री.

विधान अधिनियम 2012 के प्राधिकार के तहत जारी
गैज़ेट में सूचित करने की तारीख: 10 मार्च 2016.

विधान अधिनियम 2012 के प्राधिकार के तहत जारी
गैज़ेट में सूचित करने की तारीख: 28 मार्च 2019.
यह संहिता एन ज़ेड क्यू ए द्वारा प्रशासित है।

वेलिंगटन, न्यूज़ीलैंड :
न्यूज़ीलैंड सरकार के प्राधिकार के तहत प्रकाशित - दिसम्बर 2016

छवि Brand Lab (ब्रांड लैब) के सौजन्य से।

NEW ZEALAND QUALIFICATIONS AUTHORITY
MANA TOHU MĀTAURANGA O AOTEAROA

QUALIFY FOR THE FUTURE WORLD
KIA NOHO TAKATŪ KI TŌ ĀMUA AO!

New Zealand Government